60 वीं वार्षिक रिपोर्ट
60th ANNUAL REPORT
2016-2017

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

निगम के वर्तमान सदस्य
CURRENT MEMBERS OF THE CORPORATION

श्री वी. के. शर्मा, अध्यक्ष
Shri V. K. Sharma

श्री सुभाष चन्द्र गर्ग
Shri Subash Chandra Garg

श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू
Shri Girish Chandra Murmu

श्री अश्वनी कुमार
Shri Ashwani Kumar

श्रीमती एलिस जी वैद्यन
Smt. Alice G. Vaidyan

श्रीमती ऊषा सांगवान
Smt. Usha Sangwan

श्री हेमंत भार्गव
Shri Hemant Bhargava

श्री बी. वेणूगोपाल
Shri B. Venugopal

श्रीमती सुनीता शर्मा
Smt. Sunita Sharma

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नागरिक घोषणा - पत्र

हमारा कल्पना दर्शन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी, विशाल वित्तीय समूह, जो विभिन्न समाजों के लिए महत्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

हमारा लक्ष्य

आकांक्षा के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नत करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करना।

हमारे मूल्य

अभिरक्षण एवं शिष्टाचार
अभिक्रम एवं नवीनता
सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता
गुणवत्ता एवं लाभ
सहभागिता एवं संबंध
विश्वनियता एवं भरोसा

हमारी संस्कृति

दक्षता
अनुकूलता
सहयोग
प्रतिबद्धता
अनुशासन
अधिकृत करना
संवेदनशिलता
उत्कृष्ठता

CITIZENS' CHARTER

OUR VISION

To transform ourselves into a transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and the Pride of India.

OUR MISSION

To ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development.

OUR VALUES

Caring and courtesy
Initiatives and Innovation
Integrity and Transparency
Quality and Returns
Participation and Relationship
Trustworthiness and Reliability

OUR CULTURE

Agility
Adaptability
Collaboration
Commitment
Discipline
Empowerment
Sensitivity
Excellence

विषय सूची

		पृष्ठ
(1)	**आमुख**	7
(2)	**निगम एवं समितियों के सदस्य, निगम के वरिष्ठ प्रशासक, मुख्य बीमांकक एवं क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड एवं बीमाधारक परिषद के सदस्य**	7
(3)	**आर्थिक परिवेश और जीवन बीमा व्यवसाय पर समष्टि आर्थिक परिवेश का प्रभाव**	7
(4)	**कार्य परिणाम :** I) **नव व्यवसाय :** व्यक्तिगत बीमा, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, नॉन लिंक हेल्थ, यूनिट लिंक व्यवसाय, समूह बीमा व्यवसाय, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, प्रथम बीमा, ग्रामीण बीमा, II) **विभिन्न क्षेत्रों में चालू व्यवसाय :** व्यक्तिगत बीमा, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, नॉन लिंक हेल्थ, यूनिट लिंक व्यवसाय, समूह बीमा व्यवसाय	10
(5)	**पूंजी मोचन तथा निश्चित वार्षिकी व्यवसाय**	11
(6)	**पॉलिसियों के सांविधिक विवरण**	12
(7)	**संगठनजन्य ढांचा**	12
(8)	**जीवन निधि, अधिशेष तथा प्रदत्त कर**	12
(9)	**सामाजिक क्षेत्र :** समूह बीमा योजनएं एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्र में निवेश एवं स्वर्णजयंति फाऊंडेशन	12
(10)	**विपणन गतिविधियां :** विभिन्न चैनलों द्वारा किया गया नव व्यवसाय, उत्पाद विकास, बैंकेश्योरेन्स एवं वैकल्पिक चैनल्स, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा और प्रत्यक्ष विपणन	13
(11)	**अभिकर्ता :** अभिकर्ताओं की संख्या, अभिकर्ता क्लब सदस्यता, वृत्तिक अभिकर्ताओं की योजना, मुख्य जीवन बीमा सलाहकार एवं प्राधिकृत अभिकर्ता	15
(12)	**विदेश प्रचालन :** विदेशी शाखाएं, विदेशी संयुक्त उपकंपनियां एवं प्रतिनिधि कार्यालय	16
(13)	**ग्राहक संबंध प्रबन्धन :** दावों का निपटारा, वैकल्पिक जरियों से प्रीमियम भुगतान, ग्राहकों की शिकायत का निबटारा	17
(14)	**निगमित संप्रेषण**	20
(15)	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**	21
(16)	**कार्मिक/कर्मचारी संबंध :** कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी संबंध, कर्मचारियों को आवासीय ऋण, महिलाओं का सशक्तिकरण, आरक्षण : राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन, अनुसूचित जाति/जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए आरक्षप , खेलकूद : इन-हाऊस खेलकूद, अंतर-निगम खेलकूद, बाहरी	21
(17)	**मानव संसाधन विकास :** संगठन विकास/प्रशिक्षण	24
(18)	**प्रबंध विकास केन्द्र**	25
(19)	**राजभाषा कार्यान्वयन**	26
(20)	**अभियांत्रिकी कार्यकलाप**	26
(21)	**संपदा/सामरिक व्यवसाय इकाई - संपदा**	26
(22)	**सूचना प्रौद्योगिकी**	26
(23)	**आंतरिक अंकेक्षण**	28

(24) **निरीक्षण** 28
(25) **नव व्यवसाय एवं पुनर्बीमा** 28
(26) **सतर्कता** 29
(27) **नामित निदेशक** 29
(28) **जोखिम प्रबन्धन** 29
(29) **कार्पोरेट अभिशासन** 29
(30) **बोर्ड की बैठकें** 29
(31) **केन्द्रीय प्रबंधन समिति** 30
(32) **क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड** 30
(33) **पॉलिसी धारक परिषद** 30
(34) **जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत निर्देश** 30
(35) **लेखा परीक्षक** 30
(36) **वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए योजना** 30
(37) **विविध गतिविधियां :** एल.आई.सी.हाऊसिंग फाईनान्स लिमिटेड, एल.आई.सी.म्यूच्युअल फण्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., एल.आई.सी.पेंशन फण्ड लिमिटेड, एलआईसी कार्ड सर्विसेस लिमिटेड 30
(38) **आभार प्रदर्शन** 33
- **परिणामों का सारांश** 35
- **सारणी** 39
- **परिशिष्ट - I** 52
  निगम, कार्यकारी समिति, निवेश समिति, भवन सलाहकार समिति, अंकेक्षण समिति, उपभोक्ता कारोबार समिति, क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड एवं बीमाधारी परिषद के सदस्यगण
- **परिशिष्ट - II** 64
  सांविधिक (केन्द्रीय) लेखा परीक्षक
- **लेखा :** लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 124
- **जीवन व्यवसाय :** 128
- **वित्तीय विवरण (खण्डीय)**
  - ➢ **तुलन-पत्र :** भारत एवं भारत के बाहर संबद्ध एवं असंबद्ध व्यवसाय से संबंधित 128
  - ➢ **भारत राजस्व लेखा :** भारत एवं भारत के बाहर संबद्ध एवं असंबद्ध व्यवसाय से संबंधित (सहभागी एवं गैरसहभागी) 130
  - ➢ **लाभ-हानि खाता :** भारत एवं भारत के बाहर संबद्ध एवं असंबद्ध व्यवसाय से संबंधित 136
  - ➢ अनुसूचियां जो वित्तीय विवरणों के अंगभूत हैं (अनुसूचियां 1 से 15 तक) 138
  - ➢ वित्तीय विवरणों का सारांश 210
  - ➢ अनुपात 212
  - ➢ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (नकद प्रवाह विवरण) 218
- **पूंजी मोचन (निर्धारित सहित) बीमा व्यवसाय :**
  - ➢ तुलन पत्र 220
  - ➢ राजस्व लेखा 222
  - ➢ लाभ हानि लेखा 224
  - ➢ अनुसूचियां जो वित्तीय विवरणों के अंगभूत हैं (अनुसूचियां 1 से 4, 6, 8 और 11 से 14 तक) 226
  - ➢ प्रबंधन रिपोर्ट 236

INDEX

		Page
1.	**PREAMBLE**	65
2.	**MEMBERS OF THE CORPORATION, VARIOUS COMMITTEES, SENIOR EXECUTIVES AND APPOINTED ACTUARY, MEMBERS OF ZONAL ADVISORY BOARD AND POLICYHOLDER'S COUNCIL**	65
3.	**ECONOMIC SCENARIO AND IMPACT OF MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT ON LIFE INSURANCE BUSINESS**	65
4.	**WORKING RESULTS** I. **New Business :** Individual Assurance, General Annuities, Pensions, Non Linked Health, Unit Linked Business, Group Insurance Business, Social Security Schemes, First Insurance, Rural Thrust II. **Business in Force in Various Segments :** Individual Assurance, General Annuities, Pensions, Non Linked Health, Unit Linked Business, Group Insurance Business	68
5.	**CAPITAL REDEMPTION AND ANNUITY CERTAIN BUSINESS**	69
6.	**STATUTORY STATEMENTS REGARDING POLICIES**	69
7.	**ORGANISATIONAL SET UP**	69
8.	**LIFE FUND, SURPLUS AND TAXES PAID**	69
9.	**SOCIAL SECTOR** Group Schemes and Social Security, Investment in social sector and Golden Jubilee Foundation	69
10.	**MARKETING ACTIVITIES** New Business procured during 2016-17 Channel wise, Bancassurance & Alternate Channels, Direct Marketing, Health Insurance, Micro Insurance, Product Development and SBA.	70
11.	**AGENTS** Agency Strength, Agent's Club Membership, Career Agents Scheme, Chief Life Insurance Advisor Scheme and Authorised Agents.	73
12.	**OVERSEAS OPERATIONS:** Foreign Branches, Foreign Joint Venture Companies and Foreign Wholly Owned Subsidiary	74
13.	**CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT** Settlement of Claims, Alternate Channels of Premium Payments, Offline Payment Channels, Online Payment Channels and Customer's Grievances Redressal	75
14.	**CORPORATE COMMUNICATION**	78
15.	**RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005**	79
16.	**PERSONNEL & EMPLOYEE RELATIONS** Staff Strength, Employee Relations, Empowerment of Women, Reservation and National Policy Implementation - Housing Loan to Agents, Office Services and Sports	80
17.	**HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT / ORGANISATIONAL DEVELOPMENT INITIATIVES / TRAINING ACTIVITIES**	83
18.	**MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTRE**	84
19.	**OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION**	84
20.	**ENGINEERING ACTIVITIES**	85
21.	**STRATEGIC BUSINESS UNIT - ESTATES**	85
22.	**INFORMATION TECHNOLOGY**	85
23.	**INTERNAL AUDIT**	87

24.	**INSPECTION**	87
25.	**NEW BUSINESS AND REINSURANCE**	87
26.	**VIGILANCE**	88
27.	**NOMINEE DIRECTORS**	88
28.	**RISK MANAGEMENT**	88
29.	**CORPORATE GOVERNANCE**	88
30.	**BOARD MEETINGS**	88
31.	**CENTRAL MANAGEMENT COMMITTEE**	89
32.	**ZONAL ADVISORY BOARD (ZAB)**	89
33.	**POLICYHOLDERS' COUNCIL (PHC)**	89
34.	**DIRECTION UNDER LIC ACT**	89
35.	**AUDITORS**	89
36.	**BUSINESS PLANS FOR 2017-18**	89
37.	**DIVERSIFIED ACTIVITIES** LIC Housing Finance Ltd., LIC Nomura Mutual Fund Asset Management Company Ltd., LIC Pension Fund Ltd. and LIC Cards Services Ltd.	89
38.	**ACKNOWLEDGEMENT**	92
●	**SUMMARISED RESULTS**	93
●	**TABLES**	97
●	**APPENDIX - I** Members of the Corporation and various Committees, Senior Executives and Appointed Actuary, Members of Zonal Advisory Boards and Policyholders' Council.	110
	APPENDIX - II Statutory (Central) Auditors	122
●	**ACCOUNTS :** Auditor's Report	124
●	**LIFE BUSINESS**	128
●	**Financial Statement (Segmental)**	
	➢ **Balance Sheet :** Non Linked and Linked in respect of Business in India and Out of India.	128
	➢ **Revenue Account :** Non Linked and Linked in respect of Business in India and Out of India (Participating and Non Participating)	130
	➢ **Profit and Loss Account :** Non Linked and Linked in respect of Business in India and Out of India	136
	➢ Schedules forming a part of the Financial Statements (Schedule 1 to 15)	138
	➢ Summary of Financial Statements	210
	➢ Ratios	212
	➢ Receipt and Payment Account (Cash Flow Statement)	218
●	**CAPITAL REDEMPTION (INCLUDING ANNUITY CERTAIN) INSURANCE BUSINESS**	
	➢ Balance Sheet	220
	➢ Revenue Account	222
	➢ Profit & Loss Account	224
	➢ Schedules forming part of the Financial Statements (Schedules 1 to 4, 6, 8 & 11 to 13)	226
	➢ Management Report	237

1. आमुख

भारतीय जीवन बीमा निगम को 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अन्तर्गत अपनी 60वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है ।

2. निगम एवं समितियों के सदस्यः

निगम के सदस्यों तथा वर्ष के दौरान इसकी विभिन समितियों के सदस्यों के नाम, निगम के वरिष्ठ प्रशासक, नियुक्त बीमांकक, क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड एवं पॉलिसीधारक परिषद के नाम परिशिष्ट-I में हैं । (पृष्ठ संख्या 52 से 63 तक)

3. आर्थिक परिवेश और जीवन बीमा व्यवसाय पर समष्टि आर्थिक परिवेश का प्रभाव

वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मैक्रो आर्थिक स्थायित्व प्रदर्शित करना जारी रखा। इस वर्ष के दौरान इसमें 7.1% की दर से (जीवीए के हिसाब से 6.7%) वृद्धि हुई । इसके अलावा, वित्तीय समकेन के प्रति प्रतिबद्धता, अत्यधिक महत्त्व की बनी रही । भारत में आर्थिक वृद्धी स्थिर होती प्रतीत होती है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गतियां भिन्न-भिन्न स्तरों पर रही। यह वर्ष अनेक ऐतिहासिक आर्थिक नीतिगत विकासों द्वारा अंकित किया गया है। घरेलू पक्ष पर यह वर्ष दो मुख्य घरेलू नीतिगत विकासों द्वारा अंकित हुआ। संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसने चिरप्रतीक्षित एवं परिवर्तनकारी वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उच्चतम मूल्य वर्ग के नोटो के विमुद्रीकरण की कारवाई की गई।

वृद्धि की सीढ़ी पर ऊपर जाती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्ताओं के साथ वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं भी सकारात्मक प्रतीत होती है । उपर्युक्त की रोशनी में भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक दृष्टीकोण सकारात्मक प्रतीत होता है। तथापि, कुछ जोखिम, जैसे निवेश और ऋण में धीमी प्रगति, बढ़ते अशोध्य ऋणों की समस्या, रुपये की मूल्य वृद्धि होने के साथ अनिश्चित व्यापार संभावनाएं, वस्तुओं की वैश्विक बढ़ती कीमतें विशेष रुप से कच्चे तेल की कीमतें और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक दशाएं मौजूद है।

विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2017 और 2018 के लिये भारत की वृद्धि का पूर्वानुमान क्रमशः 7.0% और 7.6% की दर पर लगाया गया है । तथापि, आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में वृद्धि का पूर्वानुमान 2017 और 2018 के लिए क्रमशः 7.2% और 7.7% की दर पर लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपेक्षा करता है, कि जीवीए वृद्धि दर 2016-2017 में 6.7% से 2017-18 में 7.4% तक सुदृढ होगी ।

क) सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.)

अनंतिम अनुमानों के अनुसार, अर्थव्यवस्था में पिछले वित्तीय वर्ष में 8.0% की तुलना में 2016-17 में 7.1% तक वृद्धि हुई । जिन क्षेत्रों में 7.0% से अधिक वृद्धि दर दर्ज किये जाने की संभावना है, वह है - 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं', 'विनिर्माण', 'बिजली', 'गैस, जलापूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं' और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं'। 'कृषि, वन-विद्या और मत्स्य पालन', 'खनन और उत्खनन', 'निर्माण' और 'वित्तीय, रियल एस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाओं' में वृद्धि क्रमशः 4.9%, 1.8%, 1.7% और 5.7% होने का अनुमान है।

दर्शाये गये संशोधित आईआईपी आंकड़ो के अनुसार, औद्योगिक वृद्धि दर, वित्तीय वर्ष 2016 में 3.4% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 5.0% दर्शायी गयी है, जिसके परिणामस्वरुप, पूंजीगत सामान (+2.1% से +1.9% तक) और पाथिमक सामान (+5.0% से +4.9% तक) में गिरावट के विपरीत, मध्यवर्ती सामान (+1.5% से +3.0% तक), अवसंरचना/निर्माण सामान (+2.8% से +3.8% तक), उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु (+4.2% से +6.2% तक) और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु (+2.7% से +9.0% तक) द्वारा मजबूत कार्य निष्पादन दर्शाया गया है। व्यय के पक्ष में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में निजी खपत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह वित्तीय वर्ष 2017 में 56.1% है, जो वित्तीय वर्ष 2016 में था । तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकारी खपत, पिछले वर्ष 9.7% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 10.6% हो गई है। तथापि, सकल स्थिर पूंजीगत निर्माण, पिछले वित्तीय वर्ष में 31.1% से गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 29.2% हो गया।

ख) सकल घरेलू बचत (जी. डी. एस)

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू बचत के ब्योरे नीचे दिये गये है :-

वर्ष	घरेलू क्षेत्र			निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	सार्वजिनक क्षेत्र	सकल घरेलू बचतें
	वित्तीय बचतें	भौतिक बचतें	कुल			
2015-16	7.90%	10.80%	18.70%	11.80%	1.30%	32.20%
2014-15	7.40%	12.70%	20.10%	11.60%	0.90%	33.00%

ग) राजकोषीय स्थिती

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में राजकोषीय घाटा नीचे सारणी में दिया गया है :

वर्ष	केंद्र और राज्य संयुक्त	केवल केंद्र
2017-18 बजट अनुमान	लागू नहीं	3.2
2016-17 संशोधित अनुमान	6.5	3.5
2015-16	7.5	3.9
2014-15	6.6	4.1
2013-14	6.7	4.5

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹ 8.47 लाख करोड़ रहा जो कि पिछले वर्ष के निवल संग्रह से 14.2% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2017 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह ₹ 8.63 लाख करोड़ पर आया जो कि 2015-16 के वास्तविक राजस्व प्राप्तियो से 22% अधिक है। इसलिये, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में केन्द्रीय सरकार का कर राजस्व 18% बढ़कर ₹ 17.1 लाख करोड़ हो गया।

घ) वित्तीय स्थितियां

खुदरा मुद्रास्फीती में और अधिक संतुलन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल, 2016 को 25 मूल दर और 4 अक्टूबर 2016 को 25 मूल दर घटाकर रेपो दर को 6.75% से घटाकर 6.25% कर दिया है । बैंक दर भी दो बार 7.00% से घटाकर 6.5% कर दी गई है । इस वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई परिवर्तन नहीं किया जो 4% पर बना हुआ है, जब कि सांविधिक द्रवता अनुपात (एसएलआर) को 20.75% से घटाकर 20.50% कर दिया गया था।

ड) मुद्रास्फीति

वर्ष 2016-17 में देश में सामान्य मूल्य स्तरों में संतुलन का अनुभव किया जाना जारी रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) - संयुक्त द्वारा मापे गये खुदरा मुद्रास्फीति 3.17% (जनवरी 2017 में) से 6.07% (जुलाई 2016 में) की सीमा में था । वित्त मंत्रालय ने 6% के ऊपर सहनशीलता स्तर और 2% की निचली सीमा के साथ 31 मार्च 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक के लिये उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया है।

तथापि, इस वर्ष के दौरान डबल्यूपीआई द्वारा मापे गये अनुसार मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे वृद्धी हुई । यह 2011-12 के संशोधित आधार वर्ष में -1.1% से +5.5% की सीमा में था। वर्ष 2016-17 के लिये औसत मासिक डबल्यूपीआई +1.70% के साथ, प्राथमिक वस्तुओं में +3.50%, इंधन और विद्युत में -0.1% और विनिर्माण उत्पादों में 1.4% था।

च) इक्विटी एवं ऋण बाज़ार

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान सीबीएलओ का मासिक भारित औसत 6.03% था ।

31 मार्च, 2017 को एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 29,621 पर बंद हुआ, जो 31 मार्च 2016 को यथास्थिती बंद होने के 25,342 के आंकड़े से 16.90% अधिक था । इस वर्ष के दौरान, यह 24,673 से 29,649 की सीमा में था । 31 मार्च, 2017 को निफ्टी-50 9,174 पर बंद हुआ, जो 31 मार्च, 2016 को यथास्थिती बंद होने के 7,738 के आंकड़े से 18.56% अधिक था । वर्ष के दौरान, यह 7,546 से 9,174 की सीमा में था।

एसएंड़पी बीएसई एवं निफ्टी 50 पी/ई अनुपात (मूल्य आय अनुपात), एक वर्ष पहले 18.3 और 20.14 की तुलना में, मार्च 2017 के अंत में 21.86 और 21.63 थे।

गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा किये गये नये पूंजी निर्गमनों की संख्या 42 से बढ़कर 53 हो गई। जुटाई गई धनराशि भी पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 34,322 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 36,615 करोड़ हो गई। म्युचुअल फंडो का निवल अंतर्वाह, इस वर्ष के दौरान ₹ 1,30,671 करोड़ था।

भारतीय रिजर्व बैंख द्वारा मौद्रिक अवस्थिति में तटस्थता में परिवर्तन करने और यूएस फेड द्वारा वर्ष 2017 के दौरान ब्याज दर में अधिक बढ़ोतरी का संकेत देने के साथ, भारत में रेपो दर में कटौती की संभावना कम है । इस वर्ष के दौरान बॉण्ड से प्राप्त होने वाले लाभ, सीमा के दायरों में सीमित होने की संभावना है। तथापि, लंबी अवधि के बॉण्डो से होने वाले लाभ, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान दुर्लभ होने की संभावना है।

केंन्द्र सरकार ने ₹ 5.8 लाख करोड़ का ऋणादान योजना का कार्यक्रम घोषित किया है और ऐसा अनुमान है कि राज्य सरकारें एक साथ अन्य ₹ 4 लाख करोड़ ऋण लेंगी।